(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गोपाल बनाम प्रधान वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 75 सन् 2024

2024/221

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.07.24	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 835/3 रकबा 0.4299 हैक्ट. व ख0न0 926 रकबा 0.1265 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.5564 हैक्ट. वाके ग्राम कुरेडी पटवार हल्का कुरेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी तन्हा मालिक, स्वामी, खातेदार, काबिज काश्तकार है और प्रार्थी उक्त भूमि को शांतिपूर्ण रूप से काश्त व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0न0 835/3 में एक नवीन चाह (कुआ) का निर्माण करवा रखा है और प्रार्थी अपनीं उक्त सिंचित करता चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण का प्रार्थी की उक्त आराजीयात व नवीन चाह (कुआं) से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है, किन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थी के अत्यन्त वृद्ध व कमजोर होने के कारण आये दिन प्रार्थी की उक्त आराजी व कब्जे काश्त में मजामहत करने तथा प्रार्थी के उक्त चाह से जबरन अपनी भूमियों को पानी पिलाने की कोशिश करते है और प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने पर उतारू रहते है। जिसका प्रतिपक्षी को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रकरण में प्राइमाफेसीयॉ केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात की खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिपक्षीगण का उक्त आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित भूमि आराजी ख0न0 835/3 व इसमें बने चाह एवं 926 वाके ग्राम कुरेडी, पटवार हल्का कुरेडा में स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार व अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त आराजी व ख0न0 835/3 में बने चाह के उपयोग उपभोग व आराजी के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे। फसल बोने जोने काटने में रूकावट/बाधा उत्पन्न नही करे। तलबी प्रतिपक्षीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 16.08.2024 को पेश हो।	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

16/8/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ता आदेशिका अनुसार दिनांक 22/10/24 पेश हो।
Ram

22/10/24
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ता आदेशिका अनुसार दिनांक 11/12/24 पेश हो।
Ram

11/12/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ता आदेशिका अनुसार दिनांक 30/1/25 पेश हो।

30/1/25 पत्रावली पेश हुई सम्मन तलबाना जारी रहे P.डी आज ही पेश होकर दिनांक 8-4-25 को पेश हो।

8/4/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० सम्मन तलबाना पेश होकर दिनांक 18-6-25 को पेश हो।

18/6/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ता आदेशिका अनुसार दिनांक 23/7/25 पेश हो।
Ram

23/07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ता आदेशिका अनुसार दिनांक 10/10/2025 पेश हो।
Ram

10/10/25 पत्रावली पेश हुई बार बार आवाज लगवाई गई अन्तिम आवाज सांय 5 बजे लगवाई गई वादी एवं अधिवक्ता वादी अनु० रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।